न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पील संख्या : 15/354

मोती (मृतक) आयु 67 वर्ष आत्मज मंगला जाति माली निवासी ग्राम धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी जरिये कायममुकामान :-

1. श्रीमती पुष्पा बाई बेवा स्व0 मोती आयु करीब 70 वर्ष जाति माली निवासी धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. छीतर आयु 56 वर्ष ।
3. रंगलाल आयु 54 वर्ष ।
4. सुखलाल आयु 35 वर्ष आत्मज स्व0 मोती सभी जाति माली सभी निवासीगण धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. श्रीमती छीतरी आयु 58 वर्ष पुत्री स्व0 मोती बेवा लादू जी मालि निवासी हिण्डोली ।
6. श्रीमती प्रेम आयु 50 वर्ष पुत्री स्व0 मोती पत्नी रतन लाल माली निवासी बालोला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. श्रीमती भूला आयु 47 वर्ष पुत्री स्व0 मोती पत्नी दुर्गालाल निवासी धोवडा ।
8. श्रीमती लाली आयु 30 वर्ष पुत्री स्व0 मोती पत्नी श्योजीलाल माली निवासी धोवडा सभी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. नन्दकिशोर आत्मज मन्ना आयु 42 वर्ष ।
2. रामदेव आत्मज मन्ना आयु 23 वर्ष ।
3. छगना आत्मज मन्ना आयु 32 सभी जाति माली निवासीगण ग्राम राय निवास तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री बृजराज शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जितेन्द्र कोठारी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 23.05.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 08.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट मृतक मोती ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम रामनिवास तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 2674/31/2440 रकबा 05 बीघा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि पुराने खसरा नम्बर 31/2440 रकबा 05 बीघा भूमि है उक्त भूमि मोती आत्मज मंगला जाति माली के नाम दिनांक 01.12.1975 को मिसल नं0 42/75 के आधार पर आवंटित हुई थी और तत्समय आवंटी को उक्त भूमि पर कब्जा दिया गया था । तब से ही वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है और वर्तमान में उक्त भूमि आवंटी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है । इस प्रकार वादी आवंटी उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी का नाम गैर खातेदारी से विलोपित कर उक्त भूमि वादी के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी के कायममुकामान ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी अपीलान्ट वर्ष 1975 से ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । उक्त भूमि अपीलान्ट के पिता मृतक मोती लाल को विधिवत रूप से आवंटित की गई है और वर्तमान में उक्त भूमि अपीलान्ट के गैर खातेदारी में दर्ज है । उक्त आवंटित भूमि पर अपीलान्ट खातेदारी अधिकार प्रापत करने के अधिकारी हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी । राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णय करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2674/2440 रकबा 05 बीघा भूमि वाके ग्राम रामनिवास में वादी मृतक मोती आत्मज मंगला गैर खातेदार दर्ज है जिस पर वर्तमान में नन्दकिशोर, रामदेव, छगना पिसरान मन्ना कौम माली काबिज काश्त है । इस प्रकार उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2674 / 2440 रकबा 05 बीघा भूमि वाके ग्राम रामनिवास में वादी मृतक मोती आत्मज मंगला गैर खातेदार दर्ज है जिस पर वर्तमान में नन्दकिशोर, रामदेव, छगना पिसरान मन्ना कौम माली काबिज काश्त है । इस प्रकार उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है । वादग्रस्त आराजी पर आवंटन नियम 14 (4) में रेफरेन्स दर्ज है ।

10. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिकी

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/354

मोती (मृतक) आयु 67 वर्ष आत्मज मंगला जाति माली निवासी ग्राम धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी जरिये कायममुकामान :–

1. श्रीमती पुष्पा बाई बेवा स्व0 मोती आयु करीब 70 वर्ष जाति माली निवासी धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. छीतर आयु 56 वर्ष ।
3. रंगलाल आयु 54 वर्ष ।
4. सुखलाल आयु 35 वर्ष आत्मज स्व0 मोती सभी जाति माली सभी निवासीगण धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. श्रीमती छीतरी आयु 58 वर्ष पुत्री स्व0 मोती बेवा लादू जी मालि निवासी हिण्डोली ।
6. श्रीमती प्रेम आयु 50 वर्ष पुत्री स्व0 मोती पत्नी रतन लाल माली निवासी बालोला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. श्रीमती भूला आयु 47 वर्ष पुत्री स्व0 मोती पत्नी दुर्गालाल निवासी धोवडा ।
8. श्रीमती लाली आयु 30 वर्ष पुत्री स्व0 मोती पत्नी श्योजीलाल माली निवासी धोवडा सभी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

—अपीलाथी

बनाम

1. नन्दकिशोर आत्मज मन्ना आयु 42 वर्ष ।
2. रामदेव आत्मज मन्ना आयु 23 वर्ष ।
3. छगना आत्मज मन्ना आयु 32 सभी जाति माली निवासीगण ग्राम राय निवास तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिकी दिनांक 08.06.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 46 / दावा / 2009

मोती आयु 65 वर्ष आत्मज मंगला जाति माली निवासी ग्राम धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी । ——वादी

बनाम

1. नन्दकिशोर आत्मज मन्ना आयु 42 वर्ष ।
2. रामदेव आत्मज मन्ना आयु 23 वर्ष ।
3. छगना आत्मज मन्ना आयु 32 सभी जाति माली निवासीगण ग्राम राय निवास तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी .के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 23.05.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री बृजराज शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री जितेन्द्र कोठारी के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि आधार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिक्री आज तारीख 23.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा